यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या : 07 / 2023

GCMS NO-2023/7

प्रार्थी

वेद प्रकाश पूर्विया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर।

बनाम

अप्रार्थी

1.श्री राकेश भार्गव पुत्र श्री चम्पालाल भार्गव उम्र 28 वर्ष जाति भार्गव निवासी आनंन्दपुरा रामगढ़ जिला जैसलमेर प्रोपेराईटर मैसर्स चम्पालाल राकेश कुमार रामगढ जिला जैसलमेर।

2. नरेश कुमार खत्री पुत्र श्री खुबचंद खत्री पाडा जैसलमेर मैसर्स हिंगलाज मार्केटिंग जगानी स्ट्रीट जैसलमेर।

3. महीपाल हुण्डीया पुत्र श्री आनंद हुण्डीया वंश आनन्द फर्स्ट ए रोड गोल बिल्डिंग के पास सरदारपुरा जोधपुर 342003 मैसर्स जोधाणा ऐजेन्सी दीवानों की हवेली घास मंडी जोधपुर 342002।

4. बसंत कुमार सी पटेल सी 105 सिग्नेचर 2 साबर होटल के पास सांडन्द रोड सरखेज गुजरात 382210 (रेस्पोंसिबल पर्सन) 9227166718 मैसर्स मारूती ट्रेडिंग कंपनी शांति कॉम्प्लेक्स ममता कॉम्प्लेक्स के सामने सरखेज, अहमदाबाद गुजरात 382210

5. मैसर्स मारूती ट्रेडिंग कंपनी शांति कॉम्प्लेक्स ममता कॉम्प्लेक्स के सामने सरखेज, अहमदाबाद गुजरात 382210

6. पियुष कुमार रसीक लाल पटेल पुत्र श्री रसीक लाल पटेल 262 लीमाडीवास मोटोमद सरधाउ गांधीनगर गुजरात 382640 (रेस्पोंसिबल पर्सन) 9824545763 मैसर्स उमिया फूड प्रोडक्ट ब्लॉक नंबर 726/02 थॉलकडीरोड थॉल मेहसाणा गुजरात 381715

7. मैसर्स उमिया फूड प्रोडक्ट ब्लॉक नंबर 726/02 थॉलकडीरोड थॉल मेहसाणा गुजरात 381715

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (।।) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी संख्या 01 से 02 की ओर से अधिवक्ता मुरलीधर जोशी उपस्थित।

:: निर्णय ::

दिनांकः 01.02.2023

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (।।) के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.02.2022 को दोपहर 03.00 पीएम पर दौरान निरीक्षणार्थ प्रोपेराईटर मैसर्स चम्पालाल राकेश कुमार रामगढ जिला जैसलमेर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रोपेराईटर मैसर्स चम्पालाल राकेश कुमार रामगढ जिला जैसलमेर पर विक्रेता राकेश भार्गव पुत्र श्री चम्पालाल भार्गव उम्र 28 वर्ष जाति भार्गव निवासी आनंन्दपुरा रामगढ़ जिला जैसलमेर (मौके पर विक्रेता) कारोबार कर रहा था जिसका विक्रेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र व आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की जिसकी छाया प्रतियां संलग्न है। प्रार्थी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान के अन्दर गाय का घी (केशव)) 500एमएल मे रखी मिली जिसके मिलावट का संदेह होने पर नमूने लेने वास्ते विक्रेता को कहा एवं मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात गाय का घी (केशव)) 500 एमएल के चार पैकेट नमूने वास्ते लिया, जिसके पेटे 800/– रूपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। खरीद सुदा गाय का घी (केशव)) को चार भागों में विभक्त कर चार खाली शिशियों में डाला। मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येंक नमूना भाग पर चिपकाएं एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सीरियल नम्बर एन–1278 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। और शिशियों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ जैसलमेर की हस्ताक्षर सुधा पेपर स्लिप एन–1278 नियमानुसार चारों नमूनो पर नीचे से उपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लिप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण एन–1278 गाय का घी (केशव)) लिख कर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों भागो को अपने कब्जे में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहो को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैनें स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 06 की 06 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 06 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को धर्मेन्द्र सिंह प्रयोगशाला सहायक के द्वारा दिनांक 21.02.2022 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नम्बर 06 की प्रति अलग से लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्यविश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 06 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को दिनांक 19.02.2022 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/4439दिनांक 28.03.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खादय विश्लेषक खादयसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज. जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./588/Act/2022/721 दिनांक 21.039.2022 अनुसार उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड एवं कोन्ट्रेवेन्स पाया गया। खाद्य विश्लेषक जोधपुर की जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/627 दिनांक 16.01.2023 के द्वारा आवेदक खादयसुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त केस में विक्रेता 1. श्री राकेश भार्गव पुत्र श्री चम्पालाल भार्गव उम्र 28 वर्ष जाति भार्गव निवासी आनंन्दपुरा रामगढ़ जिला जैसलमेर प्रोपेराईटर मैसर्स चम्पालाल राकेश कुमार रामगढ जिला जैसलमेर 2.नरेश कुमार खत्री पुत्र श्री खुबचंद खत्री पाडा जैसलमेर मैसर्स हिंगलाज मार्केटिंग

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

जगानी स्ट्रीट जैसलमेर 3. महीपाल हुण्डीया पुत्र श्री आनंद हुण्डीया वंश आनन्द फर्स्ट ए रोड गोल बिल्डिंग के पास सरदारपुरा जोधपुर 342003 मैसर्स जोधाणा ऐजेन्सी दीवानों की हवेली घास मंडी जोधपुर 342002 4. बसंत कुमार सी पटेल सी 105 सिग्नेचर 2 साबर होटल के पास सांडन्द रोड सरखेज गुजरात 382210 (रेस्पोंसिबल पर्सन) 9227166718 मैसर्स मारुती ट्रेडिंग कंपनी शांति कॉम्प्लेक्स ममता कॉम्प्लेक्स के सामने सरखेज, अहमदाबाद गुजरात 382210 5. मैसर्स मारुती ट्रेडिंग कंपनी शांति कॉम्प्लेक्स ममता कॉम्प्लेक्स के सामने सरखेज, अहमदाबाद गुजरात 382210 6. पियुष कुमार रसीक लाल पटेल पुत्र श्री रसीक लाल पटेल 262 लीमाडीवास मोटोमद सरधाउ गांधीनगर गुजरात 382640 (रेस्पोंसिबल पर्सन) 9824545763 मैसर्स उमिया फूड प्रोडक्ट ब्लॉक नंबर 726/02 थॉलकडीरोड थॉल मेहसाणा गुजरात 3817156. 7. मैसर्स उमिया फूड प्रोडक्ट ब्लॉक नंबर 726/02 थॉलकडीरोड थॉल मेहसाणा गुजरात 381715 ने सबस्टेण्डर्ड एंव कॉन्ट्रावेन्स गाय का घी (केशव) का विक्रय करके खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

अप्रार्थी सं. 01से 02 की ओर से प्राप्त जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है अप्राथी 01व 02 ने जिस अवस्था में खाद्य पदार्थ क्रय किया था उसी अवस्था में नमूना पदार्थ विश्लेषण हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दिया था। अप्रार्थी 01 व 02 नमूना पदार्थ का निर्माता नहीं है अपितु जैसा नमूना पदार्थ उसने निर्माता कंपनी से क्रय किया था वैसा ही प्रार्थी को विक्रय किया। भविष्य में ध्यान रखकर विक्रय करने का संकल्प लिया।

दोनों पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया एवं न्यायालय में हाजीर हुआ है। अवलोकन व अनुशीलन किया गया, व प्रार्थी की बहस सुनने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि खादयसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं L.S./588/Act/2022/721 दिनांक 21.039.2022 अनुसार उक्त नमूना सवस्टेण्डर्ड एवं कॉन्ट्रावेन्स पाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब के समर्थन मे साक्ष्य प्रस्तुत कर भविष्य में ध्यान रखने का संकल्प लिया। जिससे अप्रार्थीगण पर सबस्टेण्डर्ड एंव कॉन्ट्रावेन्स स्तर के गाय का घी (केशव)खादय पदार्थ का विक्रय के लिए दोष साबित है। अप्रार्थीगण द्वारा खादयसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खादयसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं अप्रार्थी 1. श्री राकेश भार्गव पुत्र श्री चम्पालाल भार्गव उम्र 28 वर्ष जाति भार्गव निवासी आनंन्दपुरा रामगढ़ जिला जैसलमेर प्रोपेराईटर मैसर्स चम्पालाल राकेश कुमार रामगढ जिला जैसलमेर 2.नरेश कुमार खत्री पुत्र श्री खुबचंद खत्री पाडा जैसलमेर मैसर्स हिंगलाज मार्केटिंग जगानी स्ट्रीट जैसलमेर 3. महीपाल हुण्डीया पुत्र श्री आनंद हुण्डीया वंश आनन्द फर्स्ट ए रोड गोल बिल्डिंग के पास सरदारपुरा जोधपुर 342003 मैसर्स जोधाणा ऐजेन्सी दीवानों की हवेली घास मंडी जोधपुर 342002 4. बसंत कुमार सी पटेल सी 105 सिग्नेचर 2 साबर होटल के पास सांडन्द रोड सरखेज गुजरात 382210 (रेस्पोंसिबल पर्सन) 9227166718 मैसर्स मारुती ट्रेडिंग कंपनी शांति कॉम्प्लेक्स ममता कॉम्प्लेक्स के सामने सरखेज, अहमदाबाद गुजरात 382210 5. मैसर्स मारुती ट्रेडिंग कंपनी शांति कॉम्प्लेक्स ममता कॉम्प्लेक्स के सामने सरखेज, अहमदाबाद गुजरात 382210 6. पियुष कुमार रसीक लाल पटेल पुत्र श्री रसीक लाल पटेल 262 लीमाडीवास मोटोमद सरधाउ गांधीनगर गुजरात 382640 (रेस्पोंसिबल पर्सन) 9824545763 मैसर्स उमिया फूड प्रोडक्ट ब्लॉक नंबर 726/02 थॉलकडीरोड थॉल मेहसाणा गुजरात 3817156. 7. मैसर्स उमिया फूड प्रोडक्ट

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

ब्लॉक नंवर 726/02 थॉलकडीरोड थॉल मेहसाणा गुजरात 381715 फर्म के सबस्टेण्डर्ड एंव कॉन्ट्रावेन्स स्तर का गाय का घी (केशव) खाद्य पदार्थ विक्रय में उपयोग के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी सं. 01 से 07 पर 5,000/— अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04—लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल लाल स्वर्णकार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर